

भारत की बढ़ती

ऊर्जा जरूरतों
को पूरा करते हुए



एमजेएसजे कोल लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का सहायक कंपनी)



वार्षिक प्रतिवेदन



2023-24

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2023-24



एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

(सीआईएन-U10200OR2008GOI010250)

पंजीकृत कार्यालय: बलान्डा ट्रांजिट कैंप, प्रथम तल, एट-पोस्ट - बलान्डा ,
साउथ बलान्डा , तालचेर, अनुगुल, ओडिशा- 759116



विषय सूची

क्रमांक.	पृष्ठ संख्या
1. कंपनी की जानकारी	1
2. सूचना	2
3. नि देशकों के प्रतिवेदन	3-5
4. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की संशोधित रिपोर्ट	6-13
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	14
6. वर्ष 2023-2024 के लिए वित्तीय विवरण	15-81

कंपनी की सूचना

निदेशक मण्डल :

श्री ए. के. बेहुरा (डीआईएन-09712877)	अध्यक्ष (16.09.2022 से प्रभावी)
श्री दीपांकर पंडा (डीआईएन - 06833507)	निदेशक (22.07.2021 से प्रभावी)
श्री एस. एस. उपाध्याय (डीआईएन: 07314313)	निदेशक (29.07.2016 से प्रभावी)
श्री वी. शिवा रामकृष्णा (डीआईएन:1047771)	निदेशक (01.02.2023 से प्रभावी)
श्री चंद्र प्रकाश टटेड (डीआईएन - 08364541)	निदेशक (17.06.2019 से प्रभावी)
श्री सुभजित सरकार (डीआईएन: 09286970)	निदेशक (22.07.2021 से प्रभावी)
श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन: 09502251)	निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)
श्री के. एस. सिंह (डीआईएन: 09595085)	निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:

श्री के. एस. सिंह

मुख्य वित्तीय अधिकारी:

श्री एम. आर. मिश्रा

कंपनी सचिव:

श्री एस. परिडा

सांविधिक लेखापरीक्षक:

राजेश सराफ़ एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

अनुगुल, ओडिशा

बैंकर्स:

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, तालचेर

एक्सिस बैंक , तालचेर



सूचना 16 वीं वार्षिक सामान्य बैठक

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य हेतु एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 20 जुलाई, 2024 को शाम 5.45 बजे एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होगी:

सामान्य कार्य:

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की लेखा परीक्षा तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु तथा सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना, संशोधन के पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते एमजेएसजे कोल लिमिटेड

ह/-

(एस. परिडा)

कंपनी सचिव

टिप्पणी:

- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानून और विनियम के अनुसार एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं वे बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं। ताकि बैठक में विचार की गई वस्तुओं पर cs.mcl@coalindia.in. पर ई-मेल भेजकर उनकी सहमति या असहमति व्यक्त की जा सके।
- सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों की अधिकृत ई-मेल आईडी से लिंक पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी तथा निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक बंद नहीं की जाएगी।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के सूचना पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
- विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार प्रासंगिक विवरण, जैसा कि उल्लेखित है, भी इसके साथ संलग्न है।

सदस्यगण

- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, एमसीएल संबलपुर)
- जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जिंदल मैन्शन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएलडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, मुम्बई)
- जेएलडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएलडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, मुम्बई)
- जेएसएल लिमिटेड, जिंदल केन्द्र, 12, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066
(उपस्थित : कंपनी सचिव जेएसएल लिमिटेड, नई दिल्ली)
- श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड, ट्रिनिटी टावर, 7वां तल, 83 तोपसिया रोड, कोलकाता-700046
(उपस्थित : कंपनी सचिव श्याम मेटेलिक और एनर्जी लिमिटेड, कोलकाता)

लेखा परीक्षकगण

- मेसर्स राजेश सराफ एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अनुगुल, ओडिशा
- सभी निदेशकगण, एमजेएसजे कोल लिमिटेड

निदेशकगणों के रिपोर्ट

प्रिय,
शेयरधारक
एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

प्रिय सदस्यगण,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 16 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों), वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. पूंजीगत संरचना:

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 200.00 करोड़ और जारी एवं सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी 95.10 करोड़ रुपये है, जिसमें कंपनी के शेयरधारकों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योगदान दिया है:-

(रु करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	राशि	शेयरधारिता प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	57.06	60%
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10.46	11%
जेएलडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	10.46	11%
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	8.56	9%
श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड	8.56	9%
कुल	95.10	100%

2. वित्तीय समीक्षा

कंपनी,उत्कल ए-गोपाल प्रसाद की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अतः कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किया गया है। लेखा से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

31 मार्च, 2024 को बैलेंस शीट मद

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1	अधिकृत शेयर पूंजी	20000.00	20000.00
2	चुकता शेयर पूंजी	9510.00	9510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.07	0.29
4	नकद और नकद समकक्ष (जमा सहित)	2222.32	2090.47
5	चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर)	5952.20	5958.20
6	वर्तमान देनदारियां	624.62	565.01

लाभ एवं हानि विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष 2023-24	पिछले वर्ष 2022-23
1	अन्य आय	139.29	112.89
2	कर पूर्व लाभ	89.57	70.95
3	कर व्यय	23.55	0.00
4	कर पश्चात लाभ	66.02	70.95



3. ऋण गारंटी या निवेश का विवरण:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 फरवरी, 2015 के स्पष्टीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, किए गए निवेश, दिए गए ऋण या दी गई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूति के पूर्ण विवरण के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की अपेक्षा की गई है और जिस प्रयोजन के लिए ऋण या गारंटी या प्रतिभूति का उपयोग ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, उसका खुलासा किया गया है।

4. संबंधित पार्टी लेन-देन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन-देन निष्पक्ष आधार पर थे तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।

5. जोखिम प्रबंधन: लागू नहीं।

6. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन: शून्य

7. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति: सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी की गतिविधियां सीएजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखापरीक्षा के लिए खुली हैं।

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति: लागू नहीं

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: लागू नहीं

10. लेखा परीक्षकगण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, वर्ष 2023-24 के लिए खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित ऑडिट फर्म को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था:-

राजेश सराफ़ एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट, शंकर सिनेमा रोड, अनुगुल, 759122 (ओड़िशा)

11. निदेशक मण्डल:

दिनांक 31.03.2024 तक निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के निदेशक थे:

श्री ए. के. बेहुरा (डीआईएन-09712877)

श्री दीपंकर पंडा (डीआईएन - 06833507)

श्री वी. शिवरामाकृष्णा (डीआईएन : 1047771)

श्री चंद्र प्रकाश टटेड (डीआईएन - 08364541)

श्री सुभजित सरकार (डीआईएन : 09286970)

श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन 09502251)

श्री के. एस. सिंह (डीआईएन - 09595085)

अध्यक्ष (दिनांक 16.09.2022 से प्रभावी)

निदेशक (दिनांक 22.07.2021 से प्रभावी)

निदेशक (दिनांक 01.02.2023 से प्रभावी)

निदेशक (दिनांक 17.06.2019 से प्रभावी)

निदेशक (दिनांक 22.07.2021 से प्रभावी)

निदेशक (दिनांक 16.01.2022 से प्रभावी)

निदेशक (दिनांक 16.01.2022 से प्रभावी)

12. बोर्ड बैठक:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक नं.	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान
66वीं	19.04.2023	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
67वीं	17.07.2023	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
68वीं	19.10.2023	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
69वीं	12.01.2024	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर

बोर्ड की संरचना, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति का विवरण:-

निदेशकों का नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	शामिल हुए
श्री ए. के. बेहुरा	गैर-कार्यकारी	4	4
श्री दीपेंकर पंडा	गैर-कार्यकारी	4	0
श्री एस. एस. उपाध्याय	गैर-कार्यकारी	4	0
श्री चंद्र प्रकाश टटेड	गैर-कार्यकारी	4	3
श्री सुभजित सरकार	गैर-कार्यकारी	4	1
श्री अनुपम श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी	4	4
श्री कृपा शंकर सिंह	गैर-कार्यकारी	4	4

13. **कर्मचारियों का विवरण:** लागू नहीं।

14. **निदेशकों का दायित्व का बयान:**

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसरण में, यह पुष्टि की जाती है:-

- 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है (खातों पर अतिरिक्त नोट्स में खुलासा किए गए को छोड़कर)।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि की सही और निष्पक्ष स्थिति दी जा सके।
- निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- निदेशकों ने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खाते गोडंग कंसर्न पर तैयार कर लिए हैं।
- उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

15. **सी एंड ए जी टिप्पणियाँ:**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

16. **लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट**

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के तहत आवश्यक है, कंपनी ने इसके साथ संलग्न एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कंपनी ने संलग्न सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।

17. **अभिस्वीकृति**

आपके निदेशकगण, लेखापरीक्षकों महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:-

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट **(अनुलग्नक - I)**
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। **(अनुलग्नक-II)**

दिनांक : 15.04.2024

स्थान: सम्बलपुर

हस्ताक्षर /-

(ए. के. बेहुरा)

डीआईएन: 09712877

अध्यक्ष



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

प्रति
सदस्य गण
मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड
तालचर, अंगुल

मत

हमने एमजेएसजे कोल लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का बैलेंस शीट और तात्कालिक समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तात्कालिक समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं (जिन्हें यहां "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय मानक लेखांकन), नियम, 2015, संशोधित ("भारतीय मानक लेखांकन") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और समाप्त वर्ष की हानि निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के ऑडिट अनुभाग के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में हैं और जो अधिनियम 133 एवं इसके तहत जारी अन्य प्रासंगिक नियम के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित आम तौर पर भारत में स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में बदलाव तथा नगद प्रवाह के विवरण पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उपर्युक्तानुसार प्रकटीकरण, गोडंग कंसर्न से संबंधित मामलों और इसके आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हों।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान गोपनीयता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में गलत विवरण की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी रहते हुए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका निष्पादित करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जाता है, जो पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक समझ प्राप्त किया जाए ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावी है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला जाता है तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की परिचालित व्यवसाय की महत्वपूर्ण क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी कार्य को बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में कंपनी के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आते हैं।

हम कंपनी के प्रभारी लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य मामले

- कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों जैसे अचल संपत्तियों पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।
- भंडार सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में कमी/अधिकता, यदि कोई हो, को खातों में लागू नहीं किया गया है।
- हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर अंगुल में दिनांक 15.04.2024 (मूल रिपोर्ट) को एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसरण में, हमने उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है और तथ्यों के विस्तृत प्रकटीकरण के बारे में बताया गया है जैसा कि विशिष्ट मामले का महत्व, अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट और क्रम संख्या 1 में बताया गया है। (vi) (क) और क्रम सं (xiii) स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुबंध के खंड मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी ऑडिट प्रक्रिया पूरी तरह से इस पैराग्राफ में उल्लिखित आइटम में किए गए संशोधन तक ही सीमित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यकता के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हमने "अनुलग्नक-ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों विवरण प्रदान किया है।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक- बी(i) एवं अनुलग्नक- बी (ii)" में दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम अपनी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की यथोचित जांच के आधार पर संलग्न कर रहे हैं।
- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**
 - हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त किया।
 - हमारी राय में, हमारे द्वारा बहियों की जांच से प्रकट होता है कि उपरोक्त भारतीय एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति संबंधी विधि अनुसार यथोचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं।
 - इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।
 - हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।
 - हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की निरर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार सरकारी कंपनी है।
 - कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध-सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।



- g. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- i) कंपनी ने नोट नं.-38 (1) के माध्यम से अपने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।
 - ii) जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
 - iii) चूंकि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए फंड में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने में देरी का मामला नहीं बनता।
 - iv) (a) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ निरूपित किया है कि, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में महत्वपूर्ण हो) को कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) नहीं किया गया है। जिसमें लिखित या अन्य समझौते सहित मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करना शामिल है।
 - (b) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार निरूपित किया है कि, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है। जिसमें लिखित या अन्य समझौते सहित मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करना शामिल है।
 - (c) परिस्थितियों में उचित और समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।
 - v) कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।
- h. कंपनी की खाता बहियों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है, वह नहीं है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324121ई
ह/-
सीए राजेश कुमार सराफ
सदस्यता संख्या 059768
यूडीआईएन:

दिनांक: 24.05.2024
स्थान: अंगुल

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध : A

(महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खंड के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

- (i) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मालात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (B) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है और तदनुसार अमूर्त संपत्ति के संबंध में उचित रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- (b) वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि को प्रबंधन द्वारा तिमाही आधार पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर देखी गई किसी भी भौतिक विसंगतियों को लेखा बहियों में उचित रूप से निपटाया गया है। चौथी तिमाही के लिए अचल संपत्ति भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है) वित्तीय विवरण में प्रकट किए गए कंपनी के नाम पर आयोजित किए जाते हैं।
- (d) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है।
- (f) कंपनी को चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है; इसलिए, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में भरे गए त्रैमासिक रिटर्न या स्टेटमेंट कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षकारों में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है और सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है,।
- (iii) कंपनी द्वारा कोई निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है। अतः कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (iv) चूंकि कंपनी द्वारा कोई जमाराशियां या ऐसी राशियां जिन्हें जमाराशियां माना जाता है स्वीकार नहीं की गई, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी ने अनुबंध की प्रदर्शन अवधि पूरी होने के बाद दावा न की गई सुरक्षा जमा और ईएमडी के लिए कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार जमा की परिभाषा के तहत कवर की गई परिपक्व जमा की पहचान नहीं की है और जिसके लिए कंपनी विशेषज्ञ राय मांग रही है।
- (v) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (vi) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क और उपयुक्त प्राधिकारी को किसी भी अन्य सांविधिक देय राशि सहित अविवादित वैधानिक देयों के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती/अर्जित राशि आम तौर पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2024 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क शुल्क, और अन्य वैधानिक देय राशियों के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी।
- (vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित ऐसे कोई लेनदेन नहीं थे जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या खुलासा किया गया हो।
- (viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड (ix) के तहत उप खंड (ए) से (एफ) की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि जुटाई है और न ही वर्ष के दौरान शेयरों/डिबेंचरों का कोई अधिमानि आबंटन/निजी नियोजन किया है। इसलिए आदेश के खंड (x) के तहत उप खंड (ए) और (बी) की रिपोर्टिंग आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- (a) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी और कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार, के साथ कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है।
- (b) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई विसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xi) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा नहीं किया है।
- (xiii) कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली इसकी प्रकृति और इसके कारोबार के आकार के अनुरूप है।
- (xiv) कंपनी ने निदेशकों अथवा उससे जुड़े व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (a) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (b) समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (सी) और (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।



- (xvi) कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ कमाया है।
- (xvii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (xviii) वित्तीय अनुपात, उम्मीदराजी और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास करने का कारण बनता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- (a) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) (ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- (b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत खर्च न की गई कोई राशि शेष नहीं है, जिसके लिए कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) राशि को उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में अंतरित करना अपेक्षित है, जैसा कि अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अंतर्गत अपेक्षित है।
- (xx) वित्तीय विवरणों का कोई समेकन नहीं है, तदनुसार खंड 3
- (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324121ई

सीए राजेश कुमार सराफ
सदस्यता संख्या 059768
यूडीआईएन:

दिनांक: 24.05.2024
स्थान: अंगुल

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी(i)

वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर की खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ कहा जा सकता है।	कंपनी ने लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए कोल नेट लागू किया है। सभी वित्तीय लेनदेन कोल नेट के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित तरीके से लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त धनराशि का (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	ऐसा कोई मामला नहीं है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324121ई

ह/-
सीए राजेश कुमार सराफ
सदस्यता संख्या 059768
यूडीआईएन:

दिनांक: 24.05.2024
स्थान: अंगुल

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-बी (ii)

वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश के अनुसार में रिपोर्ट

1	क्या कोयला स्टॉक मापन येलो बुक के आधार पर किया गया था? क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट के साथ समोच्च मानचित्र भी दिए गए हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई थी।	लागू नहीं
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	ऐसा कोई मामला नहीं है।
3	क्या सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग एस्करो खाते बनाए गए हैं। खाते की निधि के उपयोग का भी जांच किया जाता है।	कोई एस्करो खाता नहीं रखा जाता है।
4	क्या माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए जुर्माने पर विधिवत विचार गणना की गई है।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
5	क्या कोल नेट पोर्टल से एसएपी में डेटा की स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणीकरण किया गया है।	मामले का निपटारा एमसीएल मुख्यालय में किया जाता है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324121ई

ह/-
सीए राजेश कुमार सराफ
सदस्यता संख्या 059768
यूडीआईएन:

दिनांक: 24.05.2024

स्थान: अंगुल



अनुलग्नक-सी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2024 तक महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ("कंपनी") की सहायक कंपनी एमजेएसजे कोल लिमिटेड की वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी की नीतियों का पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सटीकता सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद नहीं है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ एसएस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
- (2) स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन:324121ई

ह/-

सीए राजेश कुमार सराफ

सदस्यता संख्या 059768

यूडीआईएन:

दिनांक: 24.05.2024

स्थान: अंगुल



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके द्वारा 28 मई 2024 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 15 अप्रैल 2024 को प्रतिस्थापित करती है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(b) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी या अनुपूरक देने के लिए कुछ नहीं है।

कृते और कि ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
ह/-
(बिभूदत्त बसंतीया)
स्थान: कोलकाता महा निदेशक लेखा (कोयला)

कोलकाता

दिनांक: 03 जून 2024

31.03.2024 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2024 के अनुसार	As at 31.03.2023 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.1	0.07	0.29
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3.2	-	-
अन्वेषित और मूल्यांकित संपत्ति	3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.4	-	-
विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ	3.5	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.1	-	-
निवेश	4.2	-	-
ऋण	4.6	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11.2	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11.1	-	-
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (निवल)	6.1	-	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		0.07	0.29
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ			
चालू परिसंपत्तियाँ			
वस्तुसूची	5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.1	-	-
निवेश	4.3	-	-
व्यापार प्राप्त्य	4.4	2,222.32	2,090.47
नगद और नगद समकक्ष	4.5	-	-
अन्य बैंक शेष	4.2	-	-
ऋण	4.6	5,727.43	5,725.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11.1	138.38	146.35
चालू कर संपत्तियाँ (निवल)	6.2	86.39	86.39
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		8,174.52	8,048.67
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			
चालू खाता शेष राशि		8,174.59	8,048.96
कुल परिसंपत्तियाँ			
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	9,510.00	9,510.00
अन्य इक्विटी	7.2	(1,960.03)	(2,026.05)
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी		7,549.97	7,483.95
गैर नियंत्रित ब्याज	7.3	-	-
कुल इक्विटी (क)		7,549.97	7,483.95

**देयताएँ****गैर चालू देयताएँ**

वित्तीय देयताएँ	8.1	-	-
उधार	8.2	-	-
पट्टा देयताएँ	8.4	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	9.1	-	-
प्रावधान	11.2	-	-
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	10.1	-	-

अन्य गैर-चालू देयताएँ**कुल गैर-चालू देयताएँ****चालू देयताएँ**

वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
	व्यापार प्राप्य	8.3	-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	"सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि "		-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	623.41	564.04
अन्य चालू देयताएँ		10.2	1.21	0.97
प्रावधान		9.1	-	-
चालू कर देयताएँ (निवल)		11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ			624.62	565.01

कुल इक्विटी और देयताएँ

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

8,174.59**8,048.96**

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-

(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-

(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डीआईएन-09595085

ह/-

(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

राजेश सराफ एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

FRN:324121E

प्रोपराप्टर

सदस्यता संख्या: 059768

दिनांक: 15.04.2024

स्थान: अंगुल

लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व (निवल लेवीस)			
बिक्री	12.1	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	-	-
संचालन से राजस्व (निवल लेवीस)		-	-
अन्य आय	12.2	139.29	112.89
कुल आय		139.29	112.89
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	13.1(a)	-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं व्यापार में स्टॉक	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	6.68	8.45
वित्त लागत	13.4	37.94	27.11
मूल्यहास / परिशोधन / हानि	13.5	0.22	0.22
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
संविदात्मक व्यय	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	4.88	6.16
कुल व्यय		49.72	41.94
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ		89.57	70.95
संयुक्त उद्यमी के लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-
कर पूर्व लाभ		89.57	70.95
कर व्यय	14.1		
चालू कर		23.55	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		23.55	-
अवधि के लिए लाभ		66.02	70.95
अन्य व्यापक आय			
15.1			
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-



कुल अन्य व्यापक आय

-

-

कुल व्यापक आय(इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)

66.02

70.95

लाभ का कारण:

कंपनी के स्वामी

66.02

70.95

अनियंत्रित ब्याज

-

-

66.02

70.95

अन्य व्यापक आय के कारण:

कंपनी के स्वामी

-

-

अनियंत्रित ब्याज

-

-

-

-

कुल व्यापक आय के कारण :

कंपनी के स्वामी

66.02

70.95

अनियंत्रित ब्याज

-

-

66.02

70.95

पिछले वर्ष और पिछली अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 10 प्रत्येक):

(1) मूल

6.94

7.46

(2) मंदित

6.94

7.46

EPS की गणना केलिएनोट16(8)(d) देखें

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 तक वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-

ह/-

ह/-

ह/-

(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डीआईएन-09595085

(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:324121E

प्रोपराप्टर
सदस्यता संख्या: 059768
दिनांक: 15.04.2024
स्थान: अंगुल

लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2024 तक			(₹ लाख में)
विवरण	01.04.2023 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2024 तक शेष
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00
31 मार्च 2023 तक			
विवरण	01-04-2022 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 तक शेष
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व और अतिरिक्त				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों में के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)		
01-04-2023 तक शेष राशि	-	-	(2,026.05)	-	-	(2,026.05)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
01.04.2023 तक पुनःघोषित शेष राशि	-	-	(2,026.05)	-	-	(2,026.05)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	66.02	-	-	66.02
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-	-	-
बायबैक पर कर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-
31.03.2024 के अनुसार शेष	-	-	-	-	-	-
शेष राशि 31.03.2024 तक	-	-	(1,960.03)	-	-	(1,960.03)



विवरण	रिजर्व और अतिरिक्त				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों में के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)		
01-04-2022 तक शेष राशि	-	-	(2,097.04)	-	-	(2,097.04)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2022 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	(2,097.04)	-	-	(2,097.04)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			70.99	-		70.99
अंतरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-			-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनः खरीद		-	-			-
बायबैक पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2023 के अनुसार शेष	-	-	(2,026.05)	-	-	(2,026.05)

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डीआईएन-09595085

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:324121E

प्रोपराएटर
सदस्यता संख्या: 059768
दिनांक: 15.04.2024
स्थान: अंगुल

नकदी प्रवाह क विवरण

	(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त नकद		
कर पूर्व लाभ	89.57	70.95
समायोजन :		
संयुक्त उद्यम का हिस्सा	-	-
मूल्यहास,परिशोधन और हानी व्यय	0.22	0.22
ब्याज और लाभांश आय	(139.29)	(112.89)
वित्त लागत	37.94	27.11
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ/हानी	-	-
देयता और प्रावधान वापस लिखा गया (निवल)	-	-
व्यापार प्राप्त के लिए भत्ता	-	-
अन्य भत्ते तथा बट्टे खाते में डालना	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता	-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(11.56)	(14.61)
समायोजन:		
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-
सूचि	-	-
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-
वित्तीय और अन्य देनदारियाँ	59.61	41.70
व्यापार देनदारियाँ	-	-
संचालन से उत्पन्न नगद	48.05	27.09
आयकर(भुगतान)	(15.58)	(11.17)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	(A) 32.47	15.92

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए भुगतान	0.01	0.00
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय	-	-
अनवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में वृद्धि	-	-
बैंक जमा में आय/(निवेश)	-	-
म्यूचुअल फंड ,शेयर आदि में आय/(निवेश)	-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान	-	-
निवेश से ब्याज	137.32	95.16
म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/ लाभांश	-	-
म्यूचुअल फंड निवेश		



निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद

(B)

137.33

95.16

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह

गैर चालू उधारों से प्राप्त आय /पुनर्भुगतान

-

-

चालू उधारों से प्राप्त आय /पुनर्भुगतान

लीज देनदारियों का पुरभुगतान(ब्याज सहित)

-

-

ब्याज भुगतान

(37.94)

(27.11)

स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति

-

-

इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान

-

-

इक्विटी शेयरों पर लाभांश का कर

-

-

इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद

-

-

इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर

(C)

(37.94)

(27.11)

वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त कुल नकदी

नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)

131.86

83.98

वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य

2,090.47

2,006.45

अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य

2,222.32

2,090.47

नकद और नकद समकक्षों का मिलान (नोट 4.4 देखें)

नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)

2,222.32

2,090.47

नकद और नकद समकक्षों के घटक

(a) बैंक में जमा शेष

जमा खातों में

-

-

चालू खातों में

-

-

ब्याज वहन (सीएलटीडी खाता आदि)

गैर ब्याज वहन

नकद ऋण खातों में

(b) भारत के बाहर बैंक में शेष

-

-

(c)प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडीसी

-

-

(d)शेष में चेक ,ड्राफ्ट और स्टॉप

-

-

(e)हाथ में नकदी

2,222.32

2,090.47

(f) भारत के बाहर शेष

-

-

(g) बैंक ओवरड्राफ्ट

-

-

(h) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष

-

-

कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)

2,222.32

2,090.47

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर चालू उधार	वित्त पट्टा देयताएं	चालू उधार
1 अप्रैल 2022 तक प्रारम्भिक शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			-
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-		
उधर पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधर पर लेनदेन लागत			
31 मार्च 2023 तक समापन शेष राशि	-	-	-

31 मार्च 2023 तक समापन शेष राशि

विवरण	गैर चालू उधार	वित्त पट्टा देयताएं	चालू उधार
1 अप्रैल 2022 तक प्रारम्भिक शेष			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-		
उधर पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधर पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन शेष राशि	-	-	-

इसमें गैर-चालू उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 8.1 देखें

2 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंडस्ट्रीज़ 7 - 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है। संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डीआईएन-09595085

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:324121E

प्रोपराएटर
सदस्यता संख्या: 059768
दिनांक: 15.04.2024
स्थान: अंगुल



टिप्पणी :1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे. कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमजेएसजेसीएल), एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय ओडिशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा की 60% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

यह कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन और उत्पादन का कार्य करती है। कंपनी विकासशील स्थिति में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या-29 में दी गई है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

- कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133, भारतीय लेखा मानक नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- वित्तीय विवरण को पूर्ववर्ती लागत मापन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय –
 - कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय इन्सट्रूमेंट की लेखांकन नीति को पैरा 2.14 में देखें);
 - परिभाषित लाभ योजनाएँ- उचित मूल्य पर मापी गई योजनागत परिसंपत्तियाँ;
 - लागत या एनआरवी जो भी कम हो, पर वस्तु-सूची (पैरा 2.20 में लेखांकन नीति देखें)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाख रुपये में' पूर्णांकित किया गया है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से परिसंपत्तियों को रखती है;
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा
- परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:

- यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है।;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से देयताओं को रखती है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। देनदारी की शर्तें, जो प्रतिपक्षकार के विकल्प पर, इकिटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

- क. अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;
- ग. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;
- घ. अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व है (यानी, अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि के बदलने की उम्मीद है); तथा
- ङ. यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी उस प्रतिफल को एकल करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं की हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके आस-पास किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंड पूरे होते हैं तो अनुबंधों को एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है:

- क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;
- ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या
- ग) अनुबंधों में तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियाँ मौजूद हैं तो कंपनी एक संविदा संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करती है:

- क) तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं, जो अलग हैं, को जोड़ने के कारण संविदा का दायरा बढ़ता है और
- ख) संविदा की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त तय किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष संविदा की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान:

संविदा की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे को एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है:

- क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग हैं; या
- ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक अभ्यासों पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकल की गई राशि को छोड़कर किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तुएं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। ग्राहक के साथ संविदा में दिए गए प्रतिफल में निश्चित राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।



लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय निर्णय
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- एक ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी की प्रतिफल की पात्रता भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है तो तब कि एक प्रतिफल भी भिन्न हो सकते हैं।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में दंड निहित है, यह परिवर्तनशील प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या पूरी राशि केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसमें यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल हो जाएगी।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तब की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल में से कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक धनवापसी देयता को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद नहीं करती है (यानी, लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। धनवापसी देयता (और लेन-देन मूल्य में संबंधित परिवर्तन और इसलिए, अनुबंध देयता) परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी तब कि एक वस्तु या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन की कीमत आवंटित करते समय उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट अच्छी या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करना होता है, जो उस राशि को दर्शाता है जिस पर कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाएं हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसा कि) कंपनी किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। एक वस्तु या सेवा को तब स्थानांतरित किया जाता है जब (या जैसा कि) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है तो एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है,:

- क. ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है; द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है।
- ख. कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति को बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि संपत्ति बनाई या बढ़ाई जाती है;
- ग. कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति को नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन दायित्व को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन दायित्व की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रखकर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन दायित्व की प्रगति के आकलन के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन दायित्व की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति को लागू करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियाँ शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कंपनी निष्पादन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने माप को अद्यतित करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को तभी मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन दायित्व समय पर पूरा नहीं होता तो कंपनी एक समय में निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

- क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;
- ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
- ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;
- घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व हैं;
- ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने कार्य निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के कार्य-निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी किसी भी बिना शर्त अधिकार को प्राप्य के रूप में अलग से विचार करने के लिए प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा विचार किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानि, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

एक अनुबंध देयता एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तब अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है तब अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब लिया जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और उचित निश्चितता हो कि अनुदान प्राप्त होगा।



सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और उसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान को "पूँजीगत कोष" में सीधे मान्यता दी जानी चाहिए, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारम्भिक तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को उस पर लिए गए ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को घटाकर पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनरांकित कर मापा जाता है।

वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल न हो। यदि पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को स्थानांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे तो उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का मूल्यहास संपत्ति के उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है।

2.5.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टों से पट्टे के भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित संपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्तीय पट्टा - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाएगा। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि संपत्ति या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है, इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसे छोड़ नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो।
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा हो, जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित हो,

- बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता हो कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि की खरीदी ऐतिहासिक कीमत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि जैसे व्यय शामिल होते हैं, जो भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं।

मान्यता के पश्चात, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मर्दों को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित मूल्यह्रास को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं:

- क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें आयात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
- ख) संपत्ति को स्थान तक लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।
- ग) वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो उस समय वहन करती है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तु सूची के उत्पादन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वस्तु को हटाने और हटाने और बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान होता है, जिस साइट पर यह स्थित है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद का प्रत्येक हिस्सा एक लागत के साथ, जो अलग से मूल्यह्रास वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, मूल्यह्रास शुल्क का निर्धारण करने में समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के मद की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टे की भूमि सहित): परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहनों	: 8-10 वर्ष



तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ मदों जैसे, कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

“अन्य भूमि” के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है; और लीजहोल्ड भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

सक्रिय उपयोग से निवृत्त पूरी तरह से मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और हानि के लिए इसका परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक का संक्रमण

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य चुना है (इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.8 बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिक्वालिफिकेशन बाध्यताएं

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता रखा जाता है।

कुल खदान बंद करने की बाध्यता का हिस्सा बनने के लिए वर्ष-दर-वर्ष प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में आधार पर एस्क्रो खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनों की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से खोजपूर्ण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेचिंग और सैंपलिंग;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना।

- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य में होने वाले शोषण से होने वाली और वसूल की जाने वाली कुल अपेक्षित मूल्य लागत के एक महत्वहीन/अप्रभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण तक परियोजना-दूर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित हानि/प्रावधान को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित भंडार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब सिद्ध भंडार का निर्धारण किया जाता है और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध है।

वाणिज्यिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में तब लाया जाता है; जब किसी परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए व्यावसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

- वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या
- कोयले के 2 साल के उत्पादन, या
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कार्य जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्तियां

अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) और संचित हानि यदि कोई हो, पर खर्च किए जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त वस्तुओं को पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षीण हो सकती है, तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और एक सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की गैर-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।



हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए उत्तरदायी अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात, सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए उनका परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत, उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, में शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ स्ट्रेट लाइन विधि पर परीक्षण किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 परिसंपत्ति की हानि (वित्तीय संपत्ति के अतिरिक्त)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि या नकदी-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियां या संपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो संपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराए पर या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए, उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके मूल्यहास किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को प्रदान करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी उपकरण।

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके

परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम या शुल्क और लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को भी लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों से प्राप्त किया जाता है, और
- ख. परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी एंड एल में ब्याज आय, हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिस 'लेखांकन बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) के अनुसार, संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को मानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय-इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी, तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया हो, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही बरकरार रखा हो, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया हो।



जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-श्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्यों के अतिरिक्त)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं जैसे उधार, ऋण प्रतिभूति, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है।
- ग) भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्य।
- घ) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रुमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर निर्दिष्ट किया जाता है, और केवल तभी जब जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी गई है। इन लाभों/हानियों को बाद में पी एंड एल में अंतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी भी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर

किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिसोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रूप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयताएं हैं उसे पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। व्यापार मॉडल में अक्सर परिवर्तन होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनः वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुनःवर्णित नहीं करती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके लेखा-जोखा को दर्शाती है:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रूप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रूप में वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और समेकित तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है। यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक साथ निपटाने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लेने की लागत तब खर्च की जाती है जब तक कि वे सीधे योग्यता परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी, ऐसी संपत्तियाँ जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं, इस स्थिति में उन्हें उन परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पूर्व लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वृद्धि राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

परिभाषित योगदान योजनाएं भविष्यर निधि एवं पेंशन के लिए रोजगार पश्चात प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार पश्चात लाभ योजना भी है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और उसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की मौजूद बाजार पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और उन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएं शामिल हैं। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। गणना प्रत्येक तुलनपत्र पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकन द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों को उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल परिभाषित लाभ देयता का पुनः माप, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (ब्याज को छोड़कर, यदि कोई हो) के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में बढ़ोत्तरी होती है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित आधार पर मान्यता दी गई है। इन लाभों के लिए विशिष्ट वित्तपोषण (फंडिंग) नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में परिवर्तित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान खनन के मामले में, कोयला अपशिष्ट सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को कोयले और इसके निष्कर्षण तक पहुंचने के लिए हटाने की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रीपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से आकलित) करने हेतु ऐसे खर्च उठाने पड़ते हैं।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलन पत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।:-

खान के ओबीआर का वार्षिक परिमाण	विचरण की अनुमेय सीमा (%)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां विचरण उपरोक्त रूप में अनुमेय सीमा से परे है, वहाँ मापी गई मात्रा पर विचार किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की क्षमता वाले खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयले का भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। इन्वेंट्री की लागत की गणना भारित औसत पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूरा होने की सभी अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत शामिल है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहाँ आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहाँ अंतर +/-5%से अधिक हो वहाँ उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वाशरियों के बीच में और उत्पादों द्वारा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार एवं पुर्जे

केन्द्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्टोर और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें ढीले उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारत औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-स्टोर/ड्रिलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु-सूची

प्रगतिरत कार्य सहित कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस कार्यों (कार्य प्रगति के साथ) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों, रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्कैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक परिसंपत्ति एवं देयताएं

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहाँ यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटप्लॉ ऑवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटप्लॉ की संभावना दूर नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटप्लॉ की संभावना दूर नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित होती है, तो संबंधित संपत्ति एक आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इसकी मान्यता यथोचित होती है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर मंदित आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो सभी मंदित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में, एक लेखांकन नीति विकसित करने और उसे लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

- क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और
- ख) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय:
 - i. कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं;
 - ii. लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को;
 - iii. तटस्थ हैं, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं;

iv. विवेकपूर्ण हैं; तथा

v. निरंतर आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी उपयोगिता पर विचार करता है:

क. समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं; तथा

ख. ढांचे में संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ –साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय विवरण को लेखांकन के प्रोद्भवन का उपयोग करते हुए ऑन-गोइनिंग-कंसर्न आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्री

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई त्रुटियां/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जा सकता है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले ऑडिट वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1% से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई हैं, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जाएंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर अपनी मान्यताओं और अनुमानों को आधारित किया। हालांकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियां और धारणाएँ बाजार में परिवर्तन या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि-

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और बाह्य गणक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और जिसे संबंधित टिप्पणियों में आगे बताया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर संपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के आधार पर, पहचानी जा सकने वाली स्थगित कर संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल है।



मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रतिउत्तर में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य में वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन मॉडलों के इनपुट बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों की स्थापना के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं और अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है तथा तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है तब लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है।

2.23.2.6 खदान बन्दी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बन्दी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में छूट दर, साइट पुनः स्थापना और निर्वहन तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान के जीवन को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके प्रावधान का अनुमान लगाती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट की दर (पूर्व कर दर) जो समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए मौजूदा बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	सीजीयू	नकद उत्पादक इकाई	ड	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	ढ	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ण	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	त	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ङ.	जीएपी	आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	थ	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	भा.लेखा.मा.	भारतीय लेखांकन मानक	द.	एनसीएल	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	ध.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
झ.	पी एंड एल	लाभ एवं हानि	न.	सीएमपीडी आईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
ञ.	पीपीई	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	प.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	फ़	आईआईसीएम	इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट
ठ.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	ब.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ टिप्पणी 3.1 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहनों	अन्य संरचना	सर्वेक्षण किए गए संपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:														
1 अप्रैल 2022 तक							23.13							23.13
जोड़														-
विलोपन/समायोजन														-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	23.13	-	-	-	-	-	-	23.13
1 अप्रैल 2023 तक														
जोड़	-	-	-	-	-	-	23.13	-	-	-	-	-	-	23.13
विलोपन/समायोजन														-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	23.13	-	-	-	-	-	-	23.13
संचित मूल्यहास और हानि														
1 अप्रैल 2022 तक							22.62							22.62
वर्ष के लिए शुल्क							0.22							0.22
विलोपन/समायोजन														-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	22.84	-	-	-	-	-	-	22.84
1 अप्रैल 2023 तक														
अवधि के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	22.84	-	-	-	-	-	-	22.84
							0.22							0.22

[illegible][illegible]

31 मार्च 2024 तक

31 मार्च 2023 तक

1. नोट 2.7 में उल्लिखित उपयोगी कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास दिया गया है। हालाँकि एक अलग श्रेणी की संपत्ति में निहित कुछ परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक इन परिसंपत्तियों पर गैर-अलग श्रेणी की परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास दिया गया है।

2. अन्य में सौर परियोजना शामिल है।

3. समिति की दिनांक 17.04.2017 को की गई सिफारिश के अनुसार सीआईएल द्वारा परिचालित घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

(₹ लाख में)

	वन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	संयुक्त और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2022 तक				1,961.00				1,961.00
परिवर्धन								-
कैपिटलाइजेशन/विलोपन								-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	1,961.00	-	-	-	1,961.00
1 अप्रैल, 2023 तक								
परिवर्धन	-	-	-	1,961.00	-	-	-	1,961.00
कैपिटलाइजेशन/विलोपन								-
31 मार्च, 2024 तक								-
	-	-	-	1,961.00	-	-	-	1,961.00
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2022 तक								
वर्ष के लिए शुल्क				1,961.00				1,961.00
हानि								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	1,961.00	-	-	-	1,961.00
1 अप्रैल, 2023 तक								
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	1,961.00	-	-	-	1,961.00
								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	1,961.00	-	-	-	1,961.00
शुद्ध निवल राशि								
31 मार्च, 2024 तक								
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-



पूँजी-कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि 31.03.2024 तक				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि 31.03.2023 तक				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

पूंजी-कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)(सकल)

2. भौतिक पूंजीगत कार्य-प्रगति हेतु अतिदेय (सकल):

	To be completed in			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)				
संयंत्र और उपकरण				
रेलवे साइडिंग				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				
अन्य				
	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:				
शीर्ष का नाम बताएं अर्थात भवन/संयंत्र एवं उपकरण				
	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

परियोजनाएं प्रगति पर हैं:

भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)

परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
संयंत्र और उपकरण				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
रेलवे साइडिंग				
परियोजना का नाम				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन				
परियोजना का नाम				
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
कुल	-	-	-	-



वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ लाख में)
अन्वेषण और
मूल्यांकन लागत

सकल वहन राशि:

1 अप्रैल 2022 तक

परिवर्धन

पूंजीकरण/ विलोपन

31 मार्च 2023 तक

-

1 अप्रैल 2023 तक

परिवर्धन

पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन

31 मार्च 2024 तक

-

संचित हानि

1 अप्रैल 2022 तक

वर्ष के लिए शुल्क

विलोपन/ समायोजन

31 मार्च 2023 तक

-

1 अप्रैल 2023 तक

अवधि के लिए शुल्क

विलोपन/ समायोजन

31 मार्च 2024 तक

-

निवल वहन राशि

31 मार्च 2024 तक

31 मार्च 2023 तक

-

-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणिया
टिप्पणी 3.4: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त खोजपूर्ण संपत्ति	रेल कोरीडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल 2022 तक					-
परिवर्धन					-
समायोजन/ विलोपन					-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-	-	-
परिवर्धन					-
समायोजन/ विलोपन					-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
संचित हानि					
1 अप्रैल 2022 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
संचित हानि					
1 अप्रैल 2022 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क					-
हटाना/समायोजन					-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि					
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-



वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी 3.5: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी	विकास के तहत रेल कॉरीडोर	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल 2022 तक			-
परिवर्धन			-
पूँजीकरण/ विलोपन			-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-
परिवर्धन			-
पूँजीकरण/ विलोपन			-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
संचित परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

(₹ लाख में)

नोट - 4.1 : निवेश

होल्डिंग
का %

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

गैर-चालु

सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)

सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)

कुल

चालु

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)

इकाइयों

एनएवी (₹)

यूटीआई म्यूचुअल फंड

(पी.वाई.____)

(पी.वाई.____)

एलआईसी म्यूचुअल फंड

(पी.वाई.____)

(पी.वाई.____)

अन्य

अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश-उद्धृत)

कुल

अउद्धृत निवेश की कुल राशि:

उद्धृत निवेश का कुल योग:

उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:

निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:

4.1.3 सहकारी शेयरों में निवेश का विवरण (अउद्धृत)

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

कोल माइंस ऑफिसर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में B वर्ग शेयर

500 के शेयर ₹ 1000 प्रति शेयर (पी.वाई. 500 के शेयर ₹ 1000 प्रति शेयर)

"डिशोरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड में D वर्ग शेयर

1000 के शेयर ₹ 100 प्रति शेयर (पी.वाई. 1000 के शेयर ₹ 100 प्रति शेयर)"

"मुग्गा कोलफील्ड कोली वर्क्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड

4000 शेयर ₹ 25 प्रति शेयर (प्रतिवर्ष 4000 शेयर ₹ 25 प्रति शेयर)"

सोदेपुर कॉलनी कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी लिमिटेड में B वर्ग शेयर ₹ 100 प्रति शेयर के 500 शेयर (प्रतिवर्ष ₹ 100 प्रति शेयर के 500 शेयर)

धेनोमेन कोली में B वर्ग शेयर। कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी लिमिटेड ₹ 100 प्रति शेयर के 500 शेयर (प्रतिवर्ष ₹ 100 प्रति शेयर के 500 शेयर)

रामगढ़ कर्णपुरा कोलफील्ड कोलियरी वर्क्स सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड

उपभोक्ता सहकारी समितियां लिमिटेड बैकुंठपुर



4.1.4 सुरक्षित बॉन्ड में निवेश (उद्धृत)

7.55% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय IRFC कर मुक्त 2021 श्रृंखला 79 बॉन्ड

8% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय IRFC बॉन्ड कर मुक्त

7.22% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय IRFC बॉन्ड कर मुक्त

7.22% सुरक्षित रिडीमेबल REC बॉन्ड कर मुक्त

नोट - 4.2 : ऋण

गैर-चालु

संबंधित पक्षों को ऋण

- सुरक्षित माना जाने वाला सामान
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि
- खराब ऋण

घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण

- सुरक्षित माना जाने वाला सामान
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि
- खराब ऋण

घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1

ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति

कुल

चालु

संबंधित पक्षों को ऋण

- सुरक्षित माना जाने वाला सामान
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि
- खराब ऋण

घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण

- सुरक्षित माना जाने वाला सामान
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि
- खराब ऋण

घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता

कुल

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष राशि (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में चलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2) (viii) देखें

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्य

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
- सुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब ऋण	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.3.1	-	-
कुल	-	-

4.3.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू एवं गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.3.2 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16- (2)(viii) देखें

4.3.3 कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए ₹___ लाख तथा सतही नमी के लिए ₹___ लाख का प्रावधान व्यापार प्राप्य में उपरोक्तानुसार शामिल है।

4.3.4 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में ₹___ लाख की अनुमानित पीआई और मुआवजा राशि शामिल है।

4.3.5 व्यापार प्राप्य में एनटीपीसी से फरवरी 2018 से अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए सतही परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण वसूली योग्य राशि शामिल है, जो एएमआरसीडी (सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत तल) में निर्णय के लिए लंबित है, जहां प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है।

4.3.6 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

7. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	2-3 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-



(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(vi) कोयला गुणवत्ता भिन्नता और नमी प्रावधान						
कुल	-	-	-	-	-	-
बिना बिल वाली बकाया राशि						-
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						-
अपेक्षित क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(vi) कोयला गुणवत्ता भिन्नता	113.41	25.32	(5.64)	(16.77)	(163.86)	(47.54)
31.03.2023 तक						
व्यापार प्राप्य वृद्धि निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(vi) कोयला गुणवत्ता भिन्नता और नमी प्रावधान						
कुल	-	-	-	-	-	-
बिना बिल वाली बकाया राशि						-
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						-
अपेक्षित क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

नोट - 4.4 : नकद और नकद समतुल्य

बैंकों के पास शेष राशि

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
-जमा खातों में	-	-
-चालू खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी 4.4.1	-	-
चेक, ड्राफ्ट और टिकट हाथ में	-	-
हाथ में नकदी	2,222.32	2,090.47
भारत के बाहर में नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	-	-
कुल	2,222.32	2,090.47

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं, जिनकी मूल परिपक्वता निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।

4.4.2 अन्य में ई-प्रोक्योरमेंट खाता, जीईएम खाता, अग्रदाय शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकद, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष	-	-	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंकों के पास शेष				
जमा खाते			-	-
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 4.5.1)			-	-
कुल			-	-
4.5.1 4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।				
4.5.2 अन्य बैंक शेष में जमाराशियां - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है, शामिल हैं। - नोट 16 के पैरा 4(डी) का संदर्भ लें।				
नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू				
सुरक्षा जमा			-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1			-	-
			-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			-	-
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा राशि 4.6.2			-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा राशि 4.6.3			-	-
वित्त पट्टा प्राप्तियां 4.6.4			-	-
अन्य जमा और प्राप्य 4.6.5			-	-
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1			-	-
			-	-
कुल			-	-
चालू	-	-	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सुरक्षा जमा			-	-
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1			-	-
			-	-
मुख्यालय, होलडिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष			-	-
घटाव: सहायक कंपनियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता			-	-
			-	-
-	-	-		
IICM के पास शेष राशि			-	-
अर्जित ब्याज			70.28	68.31
वित्त पट्टा प्राप्तियां			-	-
अन्य जमा और प्राप्य			5,657.15	5,657.15
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1			-	-
			5,657.15	5,657.15
कुल			5,727.43	5,725.46



4.6.1 गैर-भुगतान योग्य एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

31.03.2024 तक

31.03.2023 तक

एस्करो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस घटाकर)		
घटाव: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि		
समापन तिथि पर एस्करो खाते में शेष राशि	-	-

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में चिन्हित राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
लीज़ आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii) पहले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्तियों के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:		
विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 30.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:					
विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:					
विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 2) - 16)(viii) देखें



नोट - 5.1 : इन्वेंटरी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कोयला (तैयार माल)	-	-
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाव: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
भंडार, पुर्जे और अन्य सूची (शुद्ध) 5.1.3	-	-
घटाव: धीमी गति से चलने वाली, अचल और अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में परिवर्तन का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 स्टोर और स्पेयर्स की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में संचालन का विवरण:

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

नोट - 6.1: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अग्रिम पूंजी	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता 6.1.1	-	-
अग्रिम पूंजी के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता 6.1.1	-	-
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाला व्यय 6.1.2	-	-
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	-	-

6.1.1 गैर भुगतान योग्य और संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचालन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.1.2 उपरोक्त विवरण, खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 2) - 16) (viii) देखें

नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अग्रिम पूंजी के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता 6.2.1	-	-
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.2 and 6.2.3	86.39	86.39
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता 6.2.1	-	-
	86.39	86.39
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाला व्यय 6.1.2	-	-
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य 6.2.4	-	-
कुल	86.39	86.39

6.2.1 गैर-भुगतान योग्य एवं संदिग्ध अग्रिमों तथा जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमा राशि और निपटाए गए मामलों के लिए अभी तक प्राप्त नहीं होने वाली रिफंड शामिल है:- आयकर ₹ 86.39 लाख।

नोट - 7.1: इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
जारी, सब्सक्राइब और पेड-अप शेयर पूंजी		
9,51,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए	9,510.00	9,510.00
कुल	9,510.00	9,510.00

7.1.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

इस प्रकार, 31.03.2024 तक भारत सरकार के पास शेयरों की संख्या कुल बकाया 6618363 शेयरों की संख्या का 100% थी।

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल

नोट - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-



प्रतिधारित आय	(1,960.03)	(2,026.05)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	(1,960.03)	(2,026.05)

(a) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूंजी प्रतिदान रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर प्री रिजर्व या सिक्क्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	रुपये(₹ लाख में)	वर्ष
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	0	

(b) पूंजी रिजर्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

उपरोक्त पूंजी रिजर्व में सहायक कंपनियों में निवेश और सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी के बीच का अंतर शामिल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और सीएमपीडीआईएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोनस शेयर जारी करने के लिए समेकन पर मान्यता दी गई है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के मामले में, एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान / निधि और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने को कैपिटल रिजर्व माना जाता है और उस पर मूल्यहास कैपिटल रिजर्व खाते में डेबिट किया जाता है। अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास होता है, जिससे अनुदान प्राप्त होता है। 31.03.2023 और 31.03.2022 तक अनुदान का संतुलन क्रमशः ₹20.13 लाख और ₹18.90 लाख है।

(c) सामान्य रिजर्व

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

सामान्य रिजर्व एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(d) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(2,026.05)	(2,097.04)
अवधि के लिए लाभ	66.02	70.99
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	(1,960.03)	(2,026.05)

(d) (ii) अन्य व्यापक आय मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (d(i) + (ii))	(1,960.03)	(2,026.05)

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) (कर के बाद शुद्ध) शामिल है।

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की जाती है।

(e) अन्य व्यापक आय की मदे

(अन्य व्यापक आय मदे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय भिन्नता		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 8.1 : उधार

गैर-चालु

अवधि ऋण

बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2

सुरक्षित

असुरक्षित

दूसरों से 8.1.3

सुरक्षित

असुरक्षित

चालु

बैंकों से

सुरक्षित

बैंक ओवरड्राफ्ट

बैंकों से अन्य ऋण



दूसरों से

सुरक्षित

असुरक्षित

दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1

नोट - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर-चालू

31.03.2024 तक

31.03.2023 तक

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि

अवधि के दौरान वृद्धि

अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत

पट्टा देनदारियों का भुगतान

अवधि के समापन पर शेष राशि

चालू

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि

अवधि के दौरान वृद्धि

अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत

पट्टा देनदारियों का भुगतान

अवधि के समापन पर शेष राशि

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-चालू और चालू):

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 31.03.2024 तक उपयोग के राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्स्चर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

31.03.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन					
विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यहास/ परिशोधन	अवधि के लिए मूल्यहास/ परिशोधन
भूमि					
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्स्चर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

"पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है कि कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को संपत्ति को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय किया जाता है।"

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर व्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह का घोषणा की गई ।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	-	-



नोट - 8.3 : व्यापार देयताएं

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

चालु

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया

-

-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया

-

-

कुल

-

-

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य	-				-
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया - अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

31.03.2023 तक

विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया - अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

नोट - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

गैर-चालु

सुरक्षा जमा

-

-

अन्य

-

-

कुल

-

-

चालू

एमसीएल के साथ चालू खाता

591.77

523.00

जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड

2.23

2.23

एसएमईएल

1.49

1.49

आईआईसीएम का चालू खाता

-

-

अवैतनिक लाभांश 8.4.1

-

-

सुरक्षा जमाराशि

3.18

3.18

बयाना राशि

1.58

1.58

पूंजीगत व्यय के लिए देय

-

-

कर्मचारी लाभ के लिए देयता	23.16	32.56
अन्य 8.4.2 & 8.4.3	-	-
कुल	623.41	564.04

नोट - 9.1 : प्रावधान	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना ^{9.1.3}	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन ^{9.1.2}	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
एक्स-ग्रेसिया	-	-
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ ^{9.1.4}	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

भारतीय मानक लेखांकन-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो एकचुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में संतुलन	वर्ष की शुरुआत में राशि	अवधि के दौरान उपयोग किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00



9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (चालू और गैर-चालू) में गतिविधि का विवरण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(i) अग्रिम स्ट्रिपिंग परिसंपत्ति:		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चार्जड/रिवर्स	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		
(ii) अनुपात विचलन आरक्षित		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चार्जड/रिवर्स	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (i-ii)	-	-

9.1.3 साइट पुनर्स्थापन/खदान बंद करने के लिए प्रावधान

भूमि सुधार और संरचनाओं के विघटन के लिए समूह का दायित्व भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर व्यय करना है। खदान बंद करने, साइट की बहाली और विघटन के लिए दायित्व का आकलन अपेक्षित कार्य करने के लिए भविष्य में नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। खदान बंद करने का व्यय स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है; वित्तीय व्यय के रूप में चिन्हित किए जाने वाले व्यय का निर्माण होता है। खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक एस्करो खाता खोला गया है। (नोट - 9 देखें)

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	0.00	
साइट बहाली प्रावधान की वृद्धि	-	
जोड़ें: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	0.00	0.00
घटाएँ: अवधि के दौरान निकासी	-	
खदान बंद करने का प्रावधान	0.00	0.00

नोट - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि ^{4.6.3}	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	-
कुल		

नोट - 10.2 : अन्य चालू देयताएं	-	31.03.2024	31.03.2023
		तक	तक
वैधानिक बकाया		1.21	0.97
कोयला आयात के लिए अग्रिम राशि		-	-
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम राशि		-	-
उपकर समकारी खाता 10.2.1		-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)		1.21	0.97
अन्य देयताएं 2			
कुल			
नोट - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं		31.03.2024	31.03.2023
		तक	तक
आयकर संपत्तियाँ			
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		146.35	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		14.57	146.35
अवधि के दौरान उलटफेर/वापसी		-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि		160.92	146.35
आयकर देयताएँ			
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(14.1 और 15.1 देखें)	23.55	-
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन		(1.01)	-
अवधि के समापन पर शेष राशि		22.54	-
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)		138.38	146.35
इस प्रकार प्रकट किया गया:			
गैर चालू			
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)		-	-
आयकर देयताएं (निवल)		-	-
चालू			
आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		138.38	146.35
आयकर देयताएँ (शुद्ध)		-	-
		138.38	146.35



नोट - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कर्मचारी लाभ				-
अन्य				-
(A) का योग	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित				-
अन्य	-			-
(B) का योग	-	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C= A-B)	-	-	-	-
"D. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)"	-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (E=C+D)	-	-	-	-

इस रूप में प्रकट किया गया:

आस्थगित कर संपत्तियाँ
आस्थगित कर देयता

As at
31.03.2024

As at
31.03.2023

-
-

-
-

वित्तीय विवरण के नोट्स

(₹ in lakhs)

नोट - 12.1 : परिचालन से राजस्व

बिक्री

बिक्री

घटाव:वैधानिक लेवी

बिक्री (निवल) (ए) 12.1.1, 12.1.2 और 12.1.3

अन्य परिचालन राजस्व

रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी

लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क

घटाव:वैधानिक लेवी

निकासी सुविधा शुल्क

घटाव:वैधानिक शुल्क

अन्य सेवाओं से राजस्व

घटाव:वैधानिक लेवी

अन्य परिचालन आय (शुद्ध) (बी)

परिचालन से राजस्व (A+B)

31 मार्च 2024 को
समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 को
समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 12.2 : अन्य आय

ब्याज आय 12.2.1

म्यूचुअल फंड से लाभांश आय

सहायक कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद पर आय

अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)

संपत्ति की बिक्री पर लाभ

विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ

म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ

पट्टा किराया 12.2.2

वापस लिखा गया प्रावधान 12.2.2

वापस लिखी गई देनदारियाँ

उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)

विविध आय 12.2.3

कुल

12.2.1 ₹ 56,586 आयकर रिफण्ड में ब्याज शामिल है (पिछली अवधि ₹ शून्य, गत वर्ष ₹ शून्य)

12.2.2 वापस लिखा गया प्रावधान का विवरण

निकाय कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के ऋण के लिए (4.2.1)

व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)

वित्तीय जमा और प्राप्य राशि के लिए (4.6.1)

कोला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 और 5.1.2)

अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिये (6.1.1)

अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिये (6.2.1)

अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान

31 मार्च 2024 को
समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 को
समाप्त वर्ष के लिए

139.29

112.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139.29

112.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



नोट - 13.1 : खपत की गई सामग्री की लागत	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल और स्नेहक	-	-
एच ई एम एम पुर्जे	-	-
अन्य खपत योग्य भंडार और पुर्जे	-	-
कुल	-	-
नोट - 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आयतित कोयला और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की घरेलू कोयला शामिल है ।		
नोट - 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयला की सूची में बदलाव		
वर्ष की शुरुवात में स्टॉक	-	-
राजस्व में लाया गया प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
वर्ष के अंत में स्टॉक	-	-
कार्यशाला और प्रेस कार्यों की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुवात में स्टॉक	-	-
वर्ष के अंत में स्टॉक	-	-
कुल	-	-
नोट - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मज़दूरी 13.3.1 & 13.3.2	6.68	8.45
भविष्यनिधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	6.68	8.45
नोट - 13.4 : वित्त लागत	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज खर्च		
छुट का समापन	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधर लागतें 13.4.1	37.94	27.11
कुल	37.94	27.11
नोट - 13.5: मूल्यहास /परिशोधन/ हानी	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यहास /परिशोधन/ हानी		
संपत्ति ,संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	0.22	0.22
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 3.2)	-	-
अनवेषण और मूल्यांकन संपत्ति (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त संपत्ति (नोट 3.4)	-	-
विकासधीन अमूर्त संपत्ति (नोट 3.5)	-	-

संपत्ति के उपयोग का अधिकार (नोट 3.6)	0.22	0.22
कम:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय हेतु हस्तांतरित	-	
कुल	0.22	0.22
नोट - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एडवांस स्ट्रिपिंग (नेट)	-	
रैशियो वेरियन्स रिजर्व	-	
13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।		
13.6.2 इस अवधि के दौरान, औसत स्ट्रिपिंग अनुपात और चालू अनुपात के बीच अंतर के लिए अनुपात भिन्नता का प्रभार लगाया गया है। औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (एआर) हटाए गए ओवर बर्डेन (ओबी) की कुल मात्रा और परियोजना कार्यकाल के दौरान खनन किए जाने वाले कुल कोयले के बीच का अनुपात है। चालू अनुपात (सीआर) हटाए गए ओबी और अवधि के दौरान उत्पादित कोयले के बीच का अनुपात है।		
नोट - 13.7: संविदात्मक व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात भुगतान	-	
वेगन लोडिंग	-	
संयंत्र और उपकरणों का किराया	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	-	
कुल	-	-
नोट - 13.8 : अन्य व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली व्यय	-	-
मरम्मत और रखरखाव		
इमारत	-	1.48
संयंत्र और उपकरण	-	-
अन्य	-	-
यात्रा व्यय	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
माल ढुलाई शुल्क	-	-
डेमर्जेज	-	-
अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	0.69
विधि व्यय	2.59	1.89
सीआईएल के सेवा शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	-	-
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	-
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	1.58	1.13
कर मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.12	0.67
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	-	-
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	-	-



पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज किराया और किराये पर लेने का शुल्क ¹	0.58	0.22
बीमा	-	-
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय ^{13.4.2}	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
प्रावधान ^{13.4.1}	-	-
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	-
विविध व्यय	0.01	0.08
कुल	4.88	6.16
नोट - 14.1: कर व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	22.54	-
पूर्व वर्ष	1.01	-
कुल चालू कर	23.55	-
आस्थगित कर	-	-
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
कुल	23.55	-
14.1.1 कर व्यय का समाधान:		
कर पूर्व लाभ/(हानि) ।	89.57	70.95
25.168% की आयकर दर पर (31.03.2024: 25.168%)	22.54	17.86
घटाव: छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य खर्चों पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त खर्चों की अनुमति)	0.00	(17.86)
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	1.01	-
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	23.55	-
प्रभावी आयकर दर:	26.29%	0.00%
14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के चटक के लिए नोट 11.2 देखें		
नोट - 15.1 : अन्य व्यापक आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मद्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्माप ¹	-	-
उन मद्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-
वे मद्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
किसी बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय भिन्नता	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
कुल	-	-

13.8.2	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी		(₹ लाख में)
		31.03.204 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अधिक खर्च सहित):			
	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन		
	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना		
	लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय		
	पर्यावरणीय स्थिरता		
	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण		
	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ		
	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण		
	सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान		
	इन्फ्रस्ट्रक्चर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान		
	विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		
	ग्रामीण विकास परियोजनाएं		
	स्लम क्षेत्र का विकास		
	राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		
	कुल		
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप			
	अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
	(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण		
	(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
	कुल		



टिप्पणी 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणी

1 क. आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2023 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि			-	-	255.49
अवधि के दौरान जोड़					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					8.99
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31-03-2024 को अंतिम शेष			-	-	246.50

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि					(₹ लाख में)
अवधि के दौरान जोड़					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष राशि से					-
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31-03-2023 को अंतिम शेषराशि			-	-	255.49

आकस्मिक देयता

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	2024-03-31 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	246.50	255.49
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय बिक्री कर		
	सेवा कर		
	अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप- कुल	246.50	255.49
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	बिजली शुल्क		
	अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप- कुल	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही		-
	कंपनी के खिलाफ चल रहा मुकदमा		-
	अन्य		-
	उप- कुल	-	-
4	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि और अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि		
	उप- कुल	-	-
	कुल योग	246.50	255.49

कंपनी की लंबित मुकदमेबाजी में कंपनी के खिलाफ दावा और कर/कानूनी/सरकारी प्राधिकारियों की लंबित कार्यवाही शामिल है। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हैं, और जहां लागू हो, अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के नतीजों का उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त के संबंध में भविष्य में नकदी का बहिर्प्रवाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर है।

आकस्मिक संपत्ति:- आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है। जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं होती हैं। व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान, कई उनसुलझे दावे वर्तमान में बकाया हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 को जारी की गई बैंक गारंटी ₹ शून्य लाख है

III. साख पत्र और आराम पत्र

31.03.2024 को बकाया साख पत्र ₹ शून्य है और आराम पत्र ₹ शून्य है।

ख. प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया: ₹ शून्य।

2. संबंधित पार्टी की जानकारी :-

क) समूह सूचना

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एम जे एस जे कोल लिमिटेड

नाम	पदनाम	से प्रभारी
श्री अजीत कुमार बेहुरा	अध्यक्ष	16.09.2022
श्री दीपांकर पांडा	निदेशक	22.07.2021
श्री वी. शिवरामकृष्ण	निदेशक	20.07.2023
श्री चन्द्र प्रकाश तातेड़	निदेशक	17.06.2019
श्री सुभजीत सरकार	निदेशक	22.07.2021
श्री अनुपम श्रीवास्तव	निदेशक	16.01.2022
श्री कृपा शंकर सिंह	निदेशक	18.04.2023
श्री मानस रंजन मिश्र	मुख्य वित्तीय अधिकारी	08.04.2022
श्री सौभाग्य परिडा	कंपनी सचिव	25.04.2022

b) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	Short Term Employee Benefits		
a.	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	-	0
b.	सकल वेतन	-	-
ii)	चिकित्सीय लाभ	-	0
iii)	अनुलाभ और अन्य लाभ	-	-
iv)	रोजगार के बाद के लाभ	-	-
v)	पीएफ में योगदान और अन्य फंड समाप्ति लाभ	-	-
	कुल	-	-



टिप्पणी: (i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर के भुगतान पर 750 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों के उपयोग की अनुमति दी गई है। संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 समय-समय पर यथा संशोधित।

c) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पास बकाया राशि:-

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

(क) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

3. अधिकृत पूंजी

अधिकृत पूंजी

	31.03.2024	31.03.2023
₹ 10/- प्रत्येक के 9,51,00,000 इक्विटी शेयर	9,510.00	9,510.00

4. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31-03-2024		31-03-2023 (Restated)	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति				
निवेश :				
सुरक्षित बांड				
म्युचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
जमा और प्राप्य		5727.43		5725.46
व्यापार प्राप्तियां*				
नकद और नकद समकक्ष		2222.32		2090.47
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देनदारियों				
उधारी				
व्यापार देनदारियां				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		4.76		4.76
लीज देयताएं				
अन्य देनदारियां		618.65		559.28

* व्यापार प्राप्य से घटाया गया कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए भत्ता।

(b) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) मान्यता प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां	31-03-2024		31-03-2023 (पुनः घोषित)	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिसके लिए उचित मूल्य 31-03-2023 पर प्रकट किए गए हैं	31-03-2024		31-03-2023 (पुनः घोषित)	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय संपत्ति				
निवेश* :				
सुरक्षित बांड				
ऋण				
जमा और प्राप्य		5,727.43		5725.46
व्यापार प्राप्तियां*				
नकद और नकद समकक्ष		2,222.32		2090.47
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयताएं				
उधारी				
व्यापार देनदारियां				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		4.76		4.76
लीज देयताएं				
अन्य देनदारियां		618.65		559.28

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

(c) उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(e) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील के पत्थर के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है से रोकने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।



महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

5 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिमों के स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है कि संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला संसर्ग	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है	काल प्रभावन विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा का विविधीकरण क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-व्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

A. ऋण जोखिम:

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है **ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)**

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिताओं के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र बिजली उत्पादक ("आईपीपी");
- गैर-विद्युत उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित); तथा
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, उनके पूर्ण आवंटन से कम के कारण एनसीडीपी के तहत मानक आवश्यकता, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/ऋण बाधित आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है। संदर्भ नोट - 13, व्यापार प्राप्तियां

वित्तीय आस्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

B. नकदी जोखिम

विवेकपूर्ण नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति (अनारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथाओं और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंक जमा से उत्पन्न होता है, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशि को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक -19)

परिभाषित लाभ योजनाएं

क) ग्रेच्युटी

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के कार्यकारी के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जो केवल भारत में कंपनी अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट / अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा प्रदान करता है। अधिकतम सीमा, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग कर दी जाती है या सामान्य कोयला संवर्ग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से योजना को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

मजदूरी समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी गैर-कार्यकारियों और उनके जीवनसाथी और कंपनी में दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना प्रदान कर रही है। अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पताल या केवल भारत में आउट पेशेंट / अधिवास की सीमा के अधीन, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय-समय पर तैयार और लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर कंपनी से इस्तीफा देता है। सेवानिवृत्त गैर-कार्यपालकों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए संयुक्त रूप से पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि या गंभीर रूप से 8 लाख रुपये है, बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। दायित्व च या योजना को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित योगदान योजनाएं

क) छुट्टी के बदले नक़द भुगतान

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु के कारण सेवा बंद करने पर हकदार हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ख) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

ग) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीआईआईएस)

कंपनी ने "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीआईआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

ड) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत ब्राह्मण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत ब्राह्मण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000 / - और 12000 / - रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

च) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को 07.11.2019 से 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।

(i) वित्त पोषित

- o ग्रेच्युटी
- o छुट्टी नकदीकरण
- o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)
- o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) अनफंडेड

- o जीवन कवर योजना
- o निपटान भत्ता
- o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o छुट्टी यात्रा रियायत
- o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

7 अन्य सूचना

(क) खंड रेपोर्टिंग:-

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार समूह के लिए कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

(ख) पट्टा

क्र.सं	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	प्रति वर्ष लीज रेंट	टिप्पणियां



- (ग) बीमा और वृद्धि के दावे
प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।
- (घ) खातों में किए गए प्रावधान
धीमी गति से चलने वाले/नॉन-मूविंग/अप्रचलित स्टोर्स, प्राप्य दावों, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।
- (ङ) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।
प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य संपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर यह वर्णित है।
- (च) चालू देनदारियां
अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।
- (छ) अलग-अलग राजस्व जानकारी:
नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है:

(₹ लाख में)

अलग-अलग राजस्व जानकारी:	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	-	-
- अन्य	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
ग्राहकों के प्रकार		
- ऊर्जा क्षेत्र	-	-
- गैर-ऊर्जा क्षेत्र	-	-
- अन्य या सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
अनुबंध के प्रकार		
एफएसए	-	-
ई-निलामी	-	-
अन्य	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
माल या सेवा का समय		
- एक समय में माल का हस्तांतरण	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल	-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-

ज. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए बैलेन्स शीट की तारीख पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही सुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

झ. समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, धारा 248 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ था।

8 विविध जानकारी :-

- i. पिछले वर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए ,जहां भी आवश्यक हो,पुनः समूहित किया गया है ।
- ii. नोट -1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ,नोट-3 से 11 बैलेन्स शीट क हिस्सा है और 12 से 13 लाभ और हानी के विवरण क हिस्सा है । नोट-16 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है ।
24 सितंबर 2014 को ,माननीय सर्वोच्चन्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और आवंटन को अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया । तदनुसार ,कंपनी के पक्ष में पहले आवंटित उत्कल-ए कोयला ब्लॉक (गोपाल प्रसाद -पश्चिम सहित)का भी आवंटन रद्द कर दिया गया । हालाँकि ,कंपनी को अभी तक कोयला मंत्रालय ,भारत सरकार से आवंटन रद्द करने का कोई पत्र नहीं मिला है ।
- iii.

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

ह/-
(एम. आर. मिश्रा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(के.एस. सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डीआईएन-09595085

ह/-
(ए.के. बेहुरा)
अध्यक्ष
डीआईएन-09712877

उसी समय की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:324121E

प्रोपराएटर
सदस्यता संख्या: 059768
दिनांक: 15.04.2024
स्थान: अंगुल







एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

(CIN-U10200OR2008GOI010250)

रजि. कार्यालय: बलंदा ट्रांजिटकैप, पहली मंजिल पर/पोस्ट-बलंदा, दक्षिण बलंदा, तालचेर, अंगुल,
ओडिशा- 759116

